दैनिक भास्कर

छपरा 03-06-2025

है।

शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रेरा निबंधन बिना प्लॉट बेचने वाले 21 डेवलपर पर की गई कार्रवाई

भास्कर न्यूज | छपरा

बैठक करते रे रा अधिकारी

जांच आयुक्त, रेरा बिहार और जिलाधिकारी सारण ने 2 जून 2025 को रेरा से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति या डेवलपर कंपनी 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में प्लॉट बेचता है या किसी बड़े प्लॉट को 8 से अधिक छोटे प्लॉट में बांटता है, या किसी अपार्टमेंट में 8 से अधिक फ्लैट बना रहा है, तो उसे रेरा से निबंधन कराना अनिवार्य है। बिना निबंधन के प्लॉट या फ्लैट बेचना रेरा एक्ट की धारा 3 का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेरा निबंधन से पहले कोई भी व्यक्ति या कंपनी विज्ञापन नहीं दे सकता। न अखबार में, न ऑनलाइन, न सोशल मीडिया पर और न ही किसी अन्य माध्यम से प्रचार कर सकता है। यदि कोई डेवलपर दावा करता है कि वह रेरा से निबंधित है, तो उसे संबंधित प्लॉट पर 5 फीट x 4 फीट का बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर रेरा निबंधन संख्या और QR कोड होना चाहिए। QR कोड से आम लोग डेवलपर और उससे जुड़े लोगों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। कुछ मामलों में देखा गया है कि एजेंट के नाम पर रेरा से निबंधन कराकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आमजन को भ्रमित कर जमीन बेची जा रही है। रेरा निबंधन संख्या यदि BRERA A से शुरू होती है तो वह एजेंट का है। यदि BRERA P से शुरू होती है तो वह प्रोजेक्ट का है। आमजन से अपील है कि निबंधन संख्या में A और P का अंतर देखकर ही जमीन खरीदें।